संदर्भ सं. राबैं.डॉर/ 7535 – 7569 / पीएसएस-9/ 2025-26

21 अप्रैल 2026

परिपत्र सं. 109 / डॉर-एलटी 37 /2026

1. मुख्य महाप्रबंधक
   राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
   सभी क्षेत्रीय कार्यालय
2. निदेशक, बर्ड, लखनऊ.
3. संयुक्त निदेशक, बर्ड, कोलकाता, मंगलुरु
4. प्रधानाचार्य, एनबीएससी, लखनऊ

महोदया/ महोदय

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए किफ़ायती ऋण हेतु पुनर्वित्त योजना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो कृषि उपज में मूल्य जोड़ता है. सबसे बड़े उद्योगों में से एक के रूप में, कृषि को विनिर्माण और खपत से जोड़ते हुए, यह भारत के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह अपनी उच्च विकास क्षमता के कारण एक "उभरता हुआ क्षेत्र" है तथा किसानों की आय में सुधार लाने, बर्बादी को कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस क्षेत्र का विस्तार किफ़ायती और पर्याप्त वित्तपोषण तक सीमित पहुँच से बाधित है, जो आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी उन्नयन और नए उत्पाद विकास में निवेश के लिए महत्वपूर्ण है. जब वित्तीय संसाधन सुलभ और किफ़ायती होते हैं, तो व्यवसायों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता की माँगों को पूरा करने वाले उत्पादों में नवोन्मेष लाने और उन्हें पेश करने के लिए सशक्त बनाते हैं. इस तरह का ऋण अत्यधिक प्रभावशाली हो सकता है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) को आधुनिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में निवेश करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने और उच्च उत्पादन दक्षता प्राप्त करने की अवसर मिलता है. इसके अलावा यह खाद्य संसाधकों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है, जिससे वे परिचालन का दायरा बढ़ाने, उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर करने और बड़े बाजारों में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं.

2. इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹2,000 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए एक निधि की स्थापना की गई थी, जिससे निर्दिष्ट फूड पार्कों में आधारभूत संरचना के कार्यों के साथ-साथ निर्दिष्ट खाद्य पार्कों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके.

3. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब खाद्य प्रसंस्करण निधि के तहत ₹ 983.02 करोड़ की शेष निधि के उपयोग की अनुमति दी है, जो विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुदान प्रदान की गई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को दिए गए ऋण के पुनर्वित्त के लिए है.

4. यह योजना राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुदान प्रदान किया गया है. हम क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध करते हैं कि ग्राहक संस्थानों के बीच वे इस योजना को लोकप्रिय बनाएँ और जिन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुदान प्रदान किए गए हैं, उन्हें प्रदत्त रियायती पुनर्वित्त सुविधा का लाभ उठाने के लिए इन संस्थानों में व्यापक प्रचार करें. योजना के तहत रियायती पुनर्वित्त जारी करते समय क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर सामान्य दीर्घावधि पुनर्वित्त जारी करने का लाभ उठाया जाए.

5. कृपया ध्यान दें कि केवल वही अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक निधि (फंड) के माध्यम से पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने कृषि के लिए अपने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य और उप-लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है. योजना दिशानिर्देश अनुबंध I के रूप में संलग्न हैं और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पीएसएल लक्ष्य उपलब्धि के आधार पर पात्र बैंकों की सूची अनुबंध II के अनुसार है।

6. कृपया ध्यान दें कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का संवर्धन (पीएमएफपीई) करने हेतु विशेष पुनर्वित्त योजना के तहत बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा जिन गतिविधियों/ परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त का लाभ उठाया गया है, वे इस योजना के तहत पुनर्वित्त के लिए पात्र नहीं हैं.

भवदीय

KANIYUR SUNDARARAJAN MAHESH

Signed by KANIYUR SUNDARARAJAN MAHESH
Date: 2026.04.21 16:19:19
Reason: Signing

(डॉ. के. एस. महेश)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक. यथोक्त.

अनुबंध- I

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को किफायती ऋण के लिए पुनर्वित्त योजना पर दिशानिर्देश

नाबार्ड कृषि और संबद्ध गतिविधियों और ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र आदि में निवेश गतिविधियों को शुरू करने हेतु पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए उनके संसाधनों को पूरक बनाने हेतु नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 25(i)(क) के प्रावधानों के तहत पात्र वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान कर रहा है. संस्थागत ऋण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान और देश के सीमांत क्षेत्र की पूँजी संबंधी आवश्यकताओं का संवर्धन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

1. उद्देश्य

कृषि उपज की बर्बादी को कम करके और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करके देश में क्लस्टर आधार पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करना.

2. पुनर्वित्त की मंजूरी

पुनर्वित्त को स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ़) के तहत मंजूरी दी जाएगी जो बैंकों को पूर्व-मंजूरी औपचारिकताओं की विस्तृत प्रक्रिया से गुजरे बिना नाबार्ड से वित्तीय समायोजन प्राप्त करने में सक्षम बनाती है. तथापि, बैंकों को ऐसी गतिविधियों के लिए ऋण देने के प्रति पुनर्वित्त का दावा करने के लिए अलग-अलग डेटाबेस बनाए रखने होंगे और नाबार्ड को सफलता की कहानियाँ भी साझा करनी होंगी. पुनर्वित्त की मंजूरी और संवितरण संबंधित ग्राहकों को सौंपी गई शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किया जाएगा.

3. पात्र गतिविधियाँ

सभी पात्र राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रदान किए गए सावधि ऋणों के लिए योजना के तहत पुनर्वित्त का लाभ उठा सकते हैं, जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अपनी योजनाओं के तहत अनुदान प्रदान किया गया है.

4. पात्र वित्तीय संस्था

सभी राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक इस योजना के तहत पुनर्वित्त का लाभ उठाने के पात्र हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पीएसएल लक्ष्य उपलब्धि के आधार पर पात्र बैंकों की सूची अनुबंध-II के अनुसार है.

5. पात्र मानदंड और जोखिम आकलन

इस योजना के अंतर्गत पुनवत्त आहरण के लिए पात्रता मानदंड चालू वर्ष के लिए दीर्घावधि पुनवत्त के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे. किसी वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल से 30 जून के दौरान पात्रता मानदंड और जोखिम मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च, या ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च (यदि ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को लेखापरीक्षित स्थिति उपलब्ध है) के रूप में लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होगा. वित्तीय वर्ष के 01 जुलाई से 31 मार्च तक, यह केवल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होगा. चालू वर्ष की 01 जुलाई को या उसके बाद मंजूरी और आहरण की अनुमति केवल उन्हीं बैंकों को दी जाएगी, जिन्होंने लेखापरीक्षण पूरा कर लिया है.

पुनर्वित्त के लिए पात्र ऋण वे होंगे जो पुनर्वित्त के लिए अनुरोध की तिथि को बकाया होंगे, जो निम्नलिखित मदों के अधीन होंगे:

a. इकाई द्वारा मीयादी ऋण प्राप्त किया होना चाहिए और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अपनी योजनाओं के तहत अनुदान प्रदान किया होना चाहिए.
b. पुनर्वित्त की मंजूरी के समय ऋणों की शेष परिपक्वता अवधि 18 महीने और उससे अधिक होनी चाहिए.
c. ऋणदाता की बहियों में ऋण मानक आस्ति होनी चाहिए.
d. अंतिम उधारकर्ता को अंतिम उधार दर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक न हो.
e. ऋण बैंकिंग प्रणाली से प्रति उधारकर्ता ₹100 करोड़ की कुल मंजूरी सीमा के भीतर होना चाहिए.

6. ब्याज दर

नाबार्ड से पुनर्वित्त पर ब्याज दर 4.25% प्रति वर्ष (तिमाही विश्राम के साथ) होगी, जो समय-समय पर नाबार्ड द्वारा संशोधित किए जाने के अधीन होगी। यह उम्मीद की जाती है कि बैंक रियायती पुनर्वित्त प्राप्त करने वाले लाभ को अंतिम उधारकर्ता को देंगे।

7. आबंटन और पुनर्वित्त पर सीमा

इस योजना के तहत वर्ष 2026-27 के दौरान या बजट के उपयोग तक कार्यान्वयन हेतु पुनर्वित्त परिव्यय का कुल कॉर्पस ₹983.02 करोड़ है.

8. पुनर्वित्त की मात्रा

पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम), पहाड़ी क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड), पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ के राज्यों में दिए गए पात्र बैंक ऋणों को 100% की सीमा तक पुनर्वित्त किया जाए, जबकि अन्य सभी क्षेत्रों में 85% की सीमा तक पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे. खाद्य प्रसंस्करण

उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को ऋण 100% की सीमा तक पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे, भले ही ऋण किसी भी क्षेत्र में दिया गया हो।

9. चुकौती

ऋण की अवधि 18 महीने से कम नहीं होनी चाहिए. पुनर्वित्त की चुकौती अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के भीतर की जाएगी. ब्याज के भुगतान की अवधि मंजूरी पत्र (पत्रों) में निर्दिष्ट अनुमोदित चुकौती अनुसूची के अनुसार त्रैमासिक होगी.

10. बोर्ड संकल्प:

बोर्ड का संकल्प या बोर्ड की उप-समिति का संकल्प जिसमें बैंकों/आरएफआई की उधार लेने की शक्तियां, नाबार्ड से उधार लेने का अधिकार, नमूना हस्ताक्षर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सूची और यह पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र कि नाबार्ड से वर्तमान उधार बैंकों/आरएफआई की समग्र उधार सीमा के भीतर है, प्रस्तुत किया जाना है

11. पूर्व-भुगतान सुविधा प्रभार

पूर्व-भुगतान सुविधा की दर 2.50% प्रति वर्ष (प्रयोज्य करों सहित) होगी और पूर्व-भुगतान की तिथि से उस तिथि तक पूरी अवधि (न्यूनतम 6 महीने) के लिए अलग से देय प्रत्येक किस्त के लिए प्रभार्य होगी, जिस तिथि को किस्त वास्तव में भुगतान के लिए देय है. पूर्व-भुगतान केवल 3 कार्य दिवसों की न्यूनतम सूचना के बाद ही शुरू किया जा सकता है.

12. शक्ति का प्रत्यायोजन

जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गई शक्तियों के प्रत्यायोजन पर परिपत्र के अनुसार.

13. अन्य

प्रतिभूति, अनुप्रवर्तन तथा अन्य सभी नियम और शर्तें उन संस्थाओं पर लागू होंगी जैसे कि संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्थाओं के लिए योजनाबद्ध दीर्घकालिक पुनर्वित्त के तहत परिचालन दिशानिर्देशों में निहित हैं. पुनर्वित्त का लाभ उठाने वाले बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि इन ऋण खातों का अनुरक्षण अलग-अलग किया जाए और उन्हें अन्य निधियों/ योजनाओं के साथ संयोजित न किया जाए. व्यक्तिगत ऋण खातों से संबंधित सभी जानकारी जैसे कुल वित्तीय परिव्यय, मंजूर किए गए ऋण की मात्रा, ऋण की मंजूरी की तिथि, संवितरित ऋण की मात्रा, संवितरण की तिथि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मंजूर किया गया अनुदान, अनुदान रिलीज विवरण, प्रभारित ब्याज दर,

मार्जिन, प्राथमिक और संपार्श्विक दोनों की प्रतिभूति, प्रभारित प्रसंस्करण शुल्क, लगाए गए कोई अन्य शुल्क, इकाई की कुल क्षमता आदि आहरण आवेदन के साथ नाबार्ड को प्रदान की जाए.

****

अनुबंध II

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि को ऋण देने के लिए अपने पीएसएल उप-लक्ष्य को प्राप्त करने वाले वाणिज्यिक बैंकों की सूची

अ. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

1. बैंक ऑफ बड़ौदा
2. बैंक ऑफ इंडिया
3. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
4. केनरा बैंक
5. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
6. इंडियन बैंक
7. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
8. पंजाब एंड सिंध बैंक
9. यूको बैंक

आ. निजी क्षेत्र के बैंक

1. एक्सिस बैंक लिमिटेड
2. कैथॉलिक सीरियन बैंक लिमिटेड
3. सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
4. डीसीबी बैंक लिमिटेड
5. द धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
6. फेडरल बैंक लिमिटेड
7. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
8. आईडीएफ़सी बैंक लिमिटेड
9. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
10. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
11. आरबीएल बैंक लिमिटेड
12. साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
13. तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड
14. येस बैंक लिमिटेड

इ. विदेशी बैंक

1. एबी बैंक लिमिटेड
2. ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूज़ीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड
3. बैंक ऑफ अमेरिका, नैशनल असोशिएशन
4. बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी.एस.सी.
5. बैंक ऑफ सीलोन
6. बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड
7. बैंक ऑफ नोवा स्कोश्या
8. बार्क्लेज़ बैंक पीएलसी
9. बीएनपी परिबास
10. सिटीबैंक एन.ए
11. क्रेडिट एग्रीकोल कॉर्पोरेट एंड इनवेस्टमेंट बैंक
12. सीटीबीसी बैंक को. लिमिटेड
13. डीबीएस बैंक लिमिटेड
14. दोएच बैंक एजी
15. दोहा बैंक क्यूएससी
16. अमीरात एनबीडी बैंक (पी.जे.एस.सी.)
17. फर्स्ट अबू धाबी बैंक पीजेएससी
18. फर्स्टरांड बैंक लिमिटेड
19. हाँगकाँग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20. इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना
21. इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया
22. जेपी मॉर्गन चेज़ बैंक नैशनल असोशिएशन
23. केईबी हाना बैंक
24. कूकमिन बैंक
25. मशरेक बैंक पीएससी
26. मिज़ुहो बैंक लिमिटेड
27. नोंगह्युप बैंक
28. पीटी बैंक मेबैंक इंडोनेशिया टीबीके
29. क़तर नैशनल बैंक एसएक्यू
30. एसबीईआरबैंक

31. एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड
32. शिन्हान बैंक
33. सोसाइटी जेनेराल
34. सोनाली बैंक
35. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
36. सुमितोमो मिट्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन
37. बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिशी यूएफ़जे लिमिटेड
38. द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पीएलसी
39. यूबीएस एजी
40. यूनाइटेड ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड
41. वूरी बैंक